उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या: 73/2022/1444/12-2-2022-मु0स0-68/2022

लखनऊः दिनांकः 30 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित कीटनाशकों का विक्रय, वितरण और प्रयोग बासमती चावल उत्पादकों के हित में नहीं है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं:-

(एक) नीचे अनुसूची में दिए गए कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग के कारण चावल के दानों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकतम अवशेष स्तर (एम.आर.एल.) से अधिक कीटनाशक अवशेषों का जोखिम है;

(दो) सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ ने उत्तर प्रदेश राज्य में, बासमती चावल में कीटों और रोगों को नियंत्रित करने के लिए कृषि रसायनों के विकल्प के रूप में एकीकृत रोग प्रबंधन (आई.डी.एम.) मॉड्यूल की संस्तुति की है;

(तीन) कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (पौध संरक्षण प्रभाग), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने एफ.सं.13035/46/2016-पीपी-I (वॉल्यूम-II) पार्ट-1 (ई 79858) दिनांक 23 जून, 2021 द्वारा **'कीटनाशकों विशेषकर ट्राईसाइक्लाज़ोल और बुप्रोफेज़िन के सुरक्षित और न्यायोचित प्रयोग'** हेतु एस. ओ. पी. (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी किया है, जिसमें वैकल्पिक कीटनाशकों के प्रयोग की संस्तुति की गयी है;

(चार) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), भारत सरकार ने भी सूचित किया है कि यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और खाड़ी देश जैसे आयातक देशों में कीटनाशकों के अधिकतम अवशेष स्तर के कड़े मानकों के कारण बासमती चावल के निर्यात को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में बासमती चावल के निर्यात में 15% की गिरावट आई है। एपीडा ने उत्तर प्रदेश की विरासत बासमती उपज को बचाने और अन्य देशों को बासमती चावल के बाधा मुक्त निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए इन कीटनाशकों पर पाबंदी/निर्बंधन लगाने का अनुरोध किया है;

(पांच) कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश ने राज्य के बासमती निर्यात के आंकड़े भी उपलब्ध कराए हैं जो निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाते है;

और चूंकि पूर्वोक्त कीटनाशक बासमती चावल के निर्यात और खपत में संभावित बाधा हैं;

और चूंकि पूर्वोक्त कीटनाशकों के विकल्प जिनका अवशेष प्रभाव कम है, बाजार में उपलब्ध हैं;

और चूंकि उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के तीस बासमती उत्पादक जिलों में बासमती धान की फसल पर, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित कीटनाशकों के विक्रय, वितरण एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रयोग पर प्रतिषेध लगाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि ये कीटनाशक बासमती चावल के निर्यात और खपत में संभावित बाधा हैं।

अतएव, अब, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1968) की धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से साठ दिनों की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के तीस जिलों यथा आगरा, अलीगढ़, औरैया, बागपत, बरेली, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मैनपुरी, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, शामली, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और संभल में, बासमती चावल में, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित कीटनाशकों के सभी प्रकार के फार्मूलेशन की बिक्री, वितरण और प्रयोग को प्रतिषिद्ध करती हैं, ताकि गुणवत्तायुक्त बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि की जा सके।

अनुसूची

क्रम संख्या	कीटनाशक का नाम
1	ट्राइसाइक्लाज़ोल
2	बुप्रोफेज़िन
3	एसीफेट
4	क्लोरपाइरीफॉस
5	मेथामिडोफॉस
6	प्रोपिकोनाज़ोल
7	थायोमेथाक्साम
8	प्रोफेनोफॉस
9	आइसोप्रोथियोलेन
10	कार्बेन्डाजिम

आज्ञा से,

डॉ. देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:73/2022/1444(1)/12-2-2022 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित दिनांक 30 सितम्बर, 2022 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ तथा अधिसूचना की 50 प्रतियॉ शासन को भेजने का कष्ट करें।

2. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्टस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी (एपीडा), भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, गन्ना, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
7. कुलपति, समस्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
8. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
11. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।